

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त अहकाम जो हुक्म की त में जारी हुए
25 ¹⁰/₂₀₂₃	गार्गी वादी बख्खलाह ने न्यायालय दफ्तर में उपस्थित होकर वाद पत्र एवं स्यादीना पत्र मस्तुत कर न्यायालय दफ्तर में विपरीतवादीन वाद प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य रजिरीनामा हो जाते से वाद पत्र व स्यादीना पत्र प्रकरण को विद्रो की अनुमति नहीं गई साथ ही श्री हरेश कुमार शर्मा एडवोकेट ने वादी का बकाया नकद पेश किया गया जिसमें शामिल पत्रावली किया गया वाद प्रकरण को विद्रो करने से पत्रावली को सीगट से तख्त की गई। पत्रावली का एवं स्यादीना पत्र का प्रबलौकृत किया गया। कौल वादी को एवं वादी को सुना गया बाद सुनवाई वादी का स्यादीना पत्र स्वीकार किया गया अतः वाद पत्र को विद्रो करने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली फेसल शुमाट डेक नम्बर से कम है उपर काररी	वाकिल पीर

